

8317 वाहन चालकों पर कार्रवाई की

जयपुर । सड़क सुरक्षा को लेकर राजस्थान पुलिस का विशेष अभियान लगातार प्रभावी साबित हो रहा है। राज्यभर में 1 जून से 30 जून तक चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत 8 हजार 317 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात डॉ. बी.एन. मीना ने बताया कि इस अभियान के दौरान उन वाहनों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, जिनमें अनधिकृत लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर, स्ट्रॉब लाइट, हूटर, एयर हॉर्न, प्रेशर हॉर्न, काली फिल्म, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट, वाहन पर अनधिकृत शब्द एवं चिन्ह तथा वाहन की संरचना में अवैध परिवर्तन जैसे उल्लंघन पाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आंकड़े बताते हैं कि सबसे अधिक 2,873 चालान ब्लैक फिल्म लगे वाहनों के विरुद्ध किए गए। इसके अलावा 1,993 वाहनों पर नियम विरुद्ध नंबर प्लेट, 1,312 वाहनों पर अनधिकृत शब्द एवं चिन्ह, 951 वाहनों में अवैध संरचनात्मक परिवर्तन, 767 वाहनों पर अनधिकृत लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर एवं हूटर तथा 421 वाहनों पर प्रेशर हॉर्न एवं एयर हॉर्न के मामलों में कार्रवाई की गई। एडीजी डॉ. मीना ने बताया कि सड़क सुरक्षा से समझौता करने वाले ऐसे उल्लंघनों के विरुद्ध यह अभियान पूरे जून माह तक निरंतर जारी रहेगा।

प्रमुख समाजसेवी सत्य सर्वेन्द्र भारद्वाज का निधन

जयपुर । प्रमुख समाजसेवी सत्य सर्वेन्द्र भारद्वाज का 22 जून को निधन हो गया। वे अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके पुत्र राजकीय जयपुरिया अस्पताल में दंत विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। स्व. भारद्वाज राजस्थान ब्राह्मण महासभा के संस्थापक सदस्य व अखिल भारतीय ब्राह्मण फेडरेशन के पैट्रन मेम्बर रहे हैं। वे पिछले 30 वर्षों से कैलिंगरि आई अस्पताल के सहयोग से राजस्थान के कई शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आई कैम्प लगाते रहे हैं। उन्होंने रोड सेफ्टी के लिए राजस्थान के राजमार्गों पर कहीं बार आमजन एवं वाहन चालकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। वे रोटी इंटरनेशनल व सत्यकमल संस्थान जयपुर के साथ मिलकर जनसेवा कार्य करते रहे। उनका राजकीय सेवा का कार्यकाल उत्कृष्ट, प्रशंसनीय व अनुकरणीय रहा।

# डोडा-चूरा तस्करों का नेटवर्क चलाने वाला तस्कर केरल से गिरफ्तार

2500 किमी. दूर मालाबार तक पीछा करके पहुंची एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान 'मदालिकादत्त' के तहत मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किए गए तस्कर रमेश बंजारा से मिली जानकारी के आधार पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ऑपरेशन 'यमलकमली' चलाकर उसके समर्थी एवं मुख्य सहयोगी रणजीत दायमा उर्फ रंजीत बंजारा निवासी मनासा जिला नीमच (मध्यप्रदेश) को केरल से गिरफ्तार किया है। 25 हजार रुपए का इनामी यह अपराधी पिछले सात वर्षों से फरार चल रहा था और फलोदी पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था। फिलहाल आरोपित से पूछताछ की जा रही है।



गिरफ्तार आरोपी रमेश बंजारा

एएनटीएफ पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में टीम ने राजस्थान से केरल तक करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय कर इस शांति तस्कर को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई नशे के कारोबार के खिलाफ एएनटीएफ की प्रतिबद्धता का बड़ा उदाहरण है।

जांच में सामने आया कि रणजीत दायमा भले ही अधिक शिक्षित नहीं है, लेकिन वह कन्नड़, तेलुगु और मलयालम भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखता था। केरल के शोरापुर क्षेत्र में फरारी के दौरान उसने स्थानीय लोगों के बीच खुद को पूरी तरह घुला-

मिला लिया था। वह इतनी धाराप्रवाह स्थानीय भाषाएं बोलता था कि लोग उसे स्थानीय निवासी ही समझते थे, जिससे उसकी वास्तविक पहचान छिपी रही। एएनटीएफ की जांच में खुलासा हुआ कि रणजीत और हाल ही में गिरफ्तार किया गया रमेश बंजारा आपस में समर्थी हैं तथा पिछले आठ वर्षों से डोडा-चूरा तस्करों के कारोबार में साझेदार थे। रमेश जहां सौदे तय करता था, वहीं रणजीत माल की व्यवस्था कर उसे सुरक्षित तरीके से बाहर भेजने का काम करता था। पुलिस के अनुसार रणजीत को प्रति किलो डोडा-चूरा पर 500 रुपए

- समर्थी के साथ चला रहा था नशे का कारोबार, आरोपी पर 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित
- आरोपी ने पुलिस पूछताछ में कबूल किया कि वह राजस्थान, मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों में डोडा-चूरा की सप्लाई करता था

एएनटीएफ को रणजीत के केरल में छिपे होने की सूचना मिली। इसके बाद टीम के सदस्य राजस्थानी कारीगरों के वेश में शोरापुर पहुंचे और कई दिनों तक उसके ठिकानों की रेकी की। सूचना मिली कि रणजीत उस दिन शोरापुर से करीब 100 किलोमीटर दूर नीलयांमती पहाड़ियों के दुर्गम क्षेत्र में कंबल बेचने गया हुआ है। टीम वहां पहुंची और ग्राहक बनकर उससे कंबल खरीदने का नाटक किया। बड़ी खरीदारी का लालच देकर उसे एक वाहन तक बुलाया गया, जहां एएनटीएफ टीम ने अपना परिचय देते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के बाद प्रारंभिक पूछताछ में रणजीत ने स्वीकार किया कि वह राजस्थान, मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों में डोडा-चूरा की सप्लाई करता था। उसने पुलिस को बताया कि उसका नेटवर्क कई क्षेत्रों में फैला हुआ था और उसे स्वयं यह जानकारी नहीं थी कि उसके खिलाफ किन-किन राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद एएनटीएफ की टीम आरोपी को केरल से राजस्थान लेकर आई। सात वर्षों से फरार चल रहा यह इनामी तस्कर अब पुलिस की गिरफ्त में है। आईजी विकास कुमार ने बताया कि इस चुनौतीपूर्ण और लंबी कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाली एएनटीएफ टीम को मुख्यालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा।

## वार्डों का परिसीमन मतदाताओं की संख्या से नहीं जनसंख्या के आधार पर : राजस्थान हाईकोर्ट

■ अदालत ने टोडाभीम नगर पालिका के वार्ड परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर वार्डों के परिसीमन से जुड़े मामले में कहा है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत वार्डों का विभाजन और निर्धारण क्षेत्र की कुल जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, न कि मतदाताओं की संख्या के आधार पर। इसके साथ ही अदालत ने टोडाभीम नगर पालिका के वार्ड परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश अमृता मीणा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि नगर पालिका अधिनियम की धारा 9 में कहीं भी

मतदाता शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि कानून प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधित्व उस वार्ड की कुल जनसंख्या के आधार पर होता है। अदालत ने कहा कि हो सकता है कि किसी वार्ड की कुल आबादी बहुत अधिक हो, लेकिन वहां मतदाताओं की संख्या बेहद कम हो। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने गत वर्ष मतदाता रह गए याचिका में कहा गया कि मतदाताओं की यह असमानता सरकार के 10 प्रतिशत के नियम की अवहेलना करती है और संविधान के

अनुच्छेद 14 व 243आर के तहत समान प्रतिनिधित्व के प्रावधान के भी खिलाफ है। याचिका में कहा गया कि वार्डों का विभाजन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग को उचित अनुपात में रखे बिना किया गया है, जिससे कुछ मतदाताओं को दूसरों की तुलना में अधिक प्रतिनिधित्व मूल्य मिल गया है। जिसका विरोध करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने कहा कि हाईकोर्ट परिसीमन को लेकर गत 14 नवंबर को आदेश दे चुका है। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।

## वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 28 जून को

जयपुर । राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा 28 जून को आयोजित वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा-2026 के सफल एवं सचुरा संचालन के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर संदेश नायक के निर्देशानुसार जिला कलक्टर परिसर में जिला स्तरीय परीक्षा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जिला कलक्टर के आदेशानुसार परीक्षा को सफलतापूर्वक एवं निर्बाध रूप से संपन्न करने के लिए नियंत्रण कक्ष 26 एवं 27 जून को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक तथा 28 जून को प्रातः 9 बजे से परीक्षा समाप्ति एवं संबंधित सम्पन्न कार्य पूर्ण होने तक संचालित रहेगा।

## 72 हजार प्रतिबंधित "ट्रामाडोल" कैप्सूल की खेप जब्त

जयपुर। नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) राजस्थान यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 72 हजार प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल की खेप जब्त की है। यह खेप उत्तर प्रदेश के आगरा से राजस्थान के महवा लाई जा रही थी। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सीबीएन अधिकारियों के अनुसार ब्यूरो को खुफिया सूचना मिली थी कि एक तस्कर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपी रोडवेज) की बस के जरिए प्रतिबंधित दवाओं की बड़ी खेप लेकर आगरा से महवा की ओर आ रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए सीबीएन जयपुर की एक विशेष टीम गठित की गई और संदिग्ध बस की निगरानी शुरू की गई।

टीम ने आगरा-महवा मार्ग पर भरतपुर बाइपास के निकट महवा (जिला दौसा) में बस को रुकवाकर तलाशी ली। जांच के दौरान एक यात्री के कब्जे से तीन पॉलीबैग बरामद हुए, जिनमें छिपाकर रखे गए कुल 72 हजार ट्रामाडोल कैप्सूल मिले। ट्रामाडोल एक प्रतिबंधित दवा है, जिसकी अवैध तस्करी पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। सीबीएन ने मौके पर ही पूरी खेप जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसके खिलाफ एनडीपीएस

- केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने तस्कर को गिरफ्तार किया
- आगरा से महवा लाई जा रही थी यह प्रतिबंधित दवाएं

अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई केंद्र सरकार के 'नशा मुक्त भारत अभियान' के तहत मादक पदार्थों और प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है। सीबीएन अब यह पता लगाने में जुटी है कि खेप कहाँ से लाई गई थी, इसे कैसे सप्लाई किया जाना था और इसके पीछे कौन-सा तस्करी नेटवर्क सक्रिय है। अधिकारियों का मानना है कि पूछताछ और तकनीकी जांच के आधार पर इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों तक भी पहुंचा जा सकेगा। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने आमजन से अपील की है कि मादक पदार्थों, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी या किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत सीबीएन को दें। ब्यूरो ने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

## देवनानी ने किए गिरिराज के दर्शन

जयपुर । राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को श्री गोवर्धन धाम पहुंचकर दानघाटी स्थित मंदिर में श्री गिरिराज महाराज के दर्शन कर पूजा-अर्चना की। उन्होंने प्रदेशवासियों को सुख-समृद्धि, शांति एवं कल्याण की कामना करते हुए गिरिराज महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया।

देवनानी ने श्रद्धापूर्वक दण्डवत प्रणाम कर गोवर्धन परिक्रमा का शुभारंभ किया तथा संपूर्ण परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से परिक्रमा की। इस दौरान उन्होंने सनातन संस्कृति एवं आध्यात्मिक परंपराओं के संरक्षण के संवर्धन के महत्व पर भी बतवाया। देवनानी ने कहा कि गोवर्धन धाम आस्था, भक्ति और आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण केंद्र है।

यहां की परिक्रमा व्यक्ति को आत्मिक शांति, काश्मत्क ऊर्जा और ईश्वर के प्रति समर्पण की अनुभूति कराती है। उन्होंने कहा कि रावण का धारण किए गए गिरिराज गोवर्धन भारतीय संस्कृति में प्रकृति संरक्षण, लोककल्याण और सनातन की रक्षा के प्रतीक हैं। इस अवसर पर मंदिर के संतों ने देवनानी को श्री गिरिराज महाराज का प्रसाद एवं आशीर्वाद प्रदान किया।

# फायर एन.ओ.सी. के बिना संचालित 17 कोचिंग सहित 25 संस्थान सील

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि अब तक 1250 से अधिक संस्थानों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जबकि शेष के खिलाफ भी कार्रवाई जल्द होगी

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर । भवनों में आग लगने की बढ़ती घटनाओं के बाद नगर निगम प्रशासन ने बिना अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र (फायर एनओसी) के संचालित संस्थानों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। निगम के सर्वे में जयपुर शहर में 1300 से अधिक संस्थान बिना फायर एनओसी के संचालित पाए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या कोचिंग संस्थानों, लाइब्रेरी और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की है।



नगर निगम प्रशासन ने गोपालपुरा बाईपास क्षेत्र में बिना फायर एनओसी संचालित कोचिंग संस्थानों से बच्चों को बाहर निकालकर फोटो-राष्ट्रदूत सभी को सीज किया।



नगर निगम प्रशासन ने गोपालपुरा बाईपास क्षेत्र में बिना फायर एनओसी संचालित कोचिंग संस्थानों से बच्चों को बाहर निकालकर फोटो-राष्ट्रदूत सभी को सीज किया।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार अब तक 1250 से अधिक संस्थानों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जबकि शेष के खिलाफ भी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। हाल ही में खोह नामगिरियान स्थित पेटाखा गोदाम में आग लगने से आठ लोगों की मौत और लखनऊ में एक कोचिंग संस्थान में आग लगने के घटना के बाद निगम ने अभियान और तेज कर दिया है। अभियान के तहत मंगलवार को शहर में 25 संस्थानों को सील किया गया, जिनमें 17 कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी शामिल हैं। निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ-2) देवेन्द्र मीणा ने बताया कि उनके क्षेत्र में करीब 600 संस्थान बिना फायर एनओसी के संचालित पाए गए हैं। सभी को नोटिस जारी

किए जा चुके हैं और आगामी दिनों में इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को दो कोचिंग संस्थानों सहित 10 विभिन्न संस्थानों को सील किया गया। गोपालपुरा क्षेत्र में भी दो कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई की गई। वहीं मुख्य अग्निशमन

अधिकारी (सीएफओ-1) गौतम ने बताया कि शहरभर में 1250 से अधिक भवन स्वामियों को बिना फायर एनओसी के व्यवसाय संचालन को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी समय में नियमों की अवहेलना करने वाले सभी संस्थानों के खिलाफ कठोर कार्रवाई

## फायर सेफ्टी उपकरण नहीं लगाने पर देना होगा 50 हजार रु. जुर्माना

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर । फायर सेफ्टी उपकरण नहीं होने पर सील बिल्डिंगों को राज्य सरकार ने राहत दी है। सरकार ने आदेश जारी करके ऐसी बिल्डिंगों को जिन्हें नगरीय निकायों (नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका) ने फायर एनओसी या फायर उपकरण लगावा कर उसका नगरीय निकाय को फायर सेफ्टी विंग से निरीक्षण करवाना होगा। अगर 30 दिन में फायर सेफ्टी नहीं लगाया जाते तो निकाय उस भवन को दोबारा सील कर सकेगा। दिल्ली में आगजनी की घटना के बाद के बाद पिछले दिनों राजधानी जयपुर में कुछ बड़े रेस्टोरेंट, क्लब, बार आदि सील किए गए। फायर एनओसी और पर्याप्त

- स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि, "ऐसी बिल्डिंग को जिन्हें नगरीय निकायों ने फायर एनओसी या फायर उपकरण नहीं होने पर सील कर रखा है, उन्हें 3 दिन में डी-सील किया जा सकेगा।"
- हालांकि अगर 30 दिन में इन इमारतों में फायर सेफ्टी उपकरण नहीं लगवाए जाते तो संबंधित निकाय उस भवन को दोबारा सील करेगी।

## लंपी प्रतिरोधक टीकाकरण का आज से

जयपुर । पशुपालन, गोपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत बुधवार को ब्यार जिले के श्री तिजराती सराफान गौशाला से लंपी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। अभियान का आरंभ गौशाला परिसर में शाम पांच बजे किया जाएगा। दो महीने तक चलने वाले इस अभियान में गौवंशीय पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। मंत्री कुमावत ने कहा कि लंपी रोग पशुओं के लिए एक जानलेवा संक्रामक रोग है। इससे मुख्य रूप से गोवंश प्रभावित होते हैं और पशुपालकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। प्रदेश पूर्व में इस रोग का दंश शैल चुका है। इसलिए अब इस रोग से बचाव के लिए एहतियात के रूप में सरकार ने लंपी रोग को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें से टीकाकरण और जागरूकता अभियान मुख्य हैं। पिछले दो वर्षों में चलाए गए टीकाकरण अभियान के तहत राज्य को लगभग 95 प्रतिशत गौवंश का टीकाकरण किया गया।

## 5 जुआरियों संग दो कुख्यात बदमाश गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। जयपुर दक्षिण जिले में अपराधियों, जुआरियों और अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत श्याम नगर थाना पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाइयों में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक होटल में चल रहे जुआ रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पांच जुआरियों को गिरफ्तार किया, वहीं दो कुख्यात हिस्ट्रीशीटरों को भारी मात्रा में नशीला पदार्थों के साथ दबोच लिया। राजर्षि राज ने बताया कि विशेष पुलिस आयुक्त (ऑपरेशन्स) ओमप्रकाश के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ललित किशोर शर्मा तथा एसपी सोडाला संस्येन्द्र सिंह नेगी एवं सुनील प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में श्याम नगर थानाधिकारी दलबीर सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई।

- हिस्ट्रीशीटर तेजपाल 52 पवों के साथ गिरफ्तार
- 22 मुकदमों वाला विक्की सांसी भी दबोचा

राजपूत को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 52 पवों अवैध देशी शराब बरामद हुई। जांच में सामने आया कि वह एक अन्य हिस्ट्रीशीटर कमली सांसी के मकान से अवैध शराब बेच रहा था। आरोपी के खिलाफ आवकारी अधिनियम के कई मामले पहले से न्यायालय में लंबित हैं। पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्रीशीटर विक्की सांसी को 60 पवों अवैध देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। विक्की सांसी के खिलाफ हत्या के प्रयास, मारपीट, एनडीपीएस एक्ट और आवकारी अधिनियम सहित 22 अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह लंबे समय से अवैध गतिविधियों में संलिप्त बताया जा रहा है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में अपराधियों, हिस्ट्रीशीटरों और अवैध कारोबारियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

मुखबिर् की सूचना पर न्यू सांगानेर